

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6
नौएडा

सं० नौएडा/जी०एच०पी०/2012/89
दिनांक. 08.11.2013

प्रभारी जन सूचना अधिकारी,
नौएडा।

विषय:- जन सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

कृपया आपके कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र सं० नौएडा/आर०टी०आई०/2012/9263 दिनांक 12.11.2012 का संदर्भ ले जिसके द्वारा चाही गई सूचना निम्न प्रकार है:-

आवेदन सं०	9404
आवेदनकर्ता का नाम	Shri Alok Kumar
प्रश्न	उत्तर
1. कितने बिल्डरों द्वारा Form of Deceleration अथोरिटी में जमा कराया गया है।	बिन्दु सं०-1 भवन प्रकोष्ठ विभाग से सम्बन्धित है।
2. आपके अथोरिटी में अपार्टमेन्ट की रजिस्ट्री यू०पी० अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 के अध्याय (5) Form of Building and deed of apartment के अनुसार हो रही है या नहीं।	बिन्दु सं०-2 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में उप पट्टा प्रलेख में सम्बन्धित एक्ट के प्राविधान का उल्लेख किया जा रहा है।
3. यदि बिन्दु संख्या 2 का उत्तर नहीं में है तो डिड का प्रारूप नहीं का करण क्या है।	बिन्दु सं०-3 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में उप पट्टा प्रलेख में सम्बन्धित एक्ट के प्राविधान का उल्लेख किया जा रहा है।
4. क्या बिल्डरों द्वारा Alottee से मंजूर प्लान में बदलाव करने से पूर्व लिखित सहमती ली जाती है? यदि नहीं तो कारण व आपके द्वारा इस संबंध में की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण दें।	बिन्दु सं०-4 भवन प्रकोष्ठ विभाग से सम्बन्धित है।
5. आपको अथोरिटी के अन्तर्गत कार्य करने वाले कितने बिल्डरों ने सामान्य सुविधाएँ क्षेत्र तथा प्रोजेक्ट के प्रबंधन को आर.डब्ल्यू.ए. को Handover कर दिया गया है। जिन लोगों ने बिल्डर से Handover के लिए काफी प्रयास किए उन्हें बिल्डर द्वारा Handover नहीं किए जाने पर आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की।	बिन्दु सं०-5 में मांगी गयी सूचना संकलित नहीं है।

10/11



महाप्रबन्धक (जी०एच०पी०) /
विभागीय जन सूचना अधिकारी
(BIPIN GAUR)
General Manager
NOIDA